International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.9 Issue.3 Jan–Feb- 2022

महिलाओं के अधिकार में हिन्दू कोड बिल के दृष्टिकोण

डॉ. गौरी सिंह परते

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला-डिन्डौरी म.प्र.

ई-मेल : parte1980.2011@gmail.com

सारांश

दलित महिला आन्दोलन की सवर्ण मानसिकता से ग्रसित स्त्री नेता दलित महिलाओं से भेदभाव करती थी। यह भेदभाव तब और स्पष्ट रूप से उभर कर आया जब १९३७ में दिसम्बर में 'अखिल भारतीय महिला परिषद्' के अधिवेशन में हिन्दू महिलाओं ने दलित समाज की प्रसिद्ध लेखिका व दलित महिला नेता जाईबाई चौधरी को भोजन की जगह से दूर बिठा कर उनकी बेइज्जती की। १ जनवरी १९३८ को नागपुर के धरम पेठ में दलित महिलाओं ने बड़ी भारी सभा की, जिसमें हजारो की संख्या में दलित महिलाओं ने भाग लिया। सवर्ण महिलाओं द्वारा बरती गई दलित महिलाओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण बर्ताव व छुआछूत और भेद-भाव का कड़ा विरोध किया गया। 'दलित नेत्री अंजनी बाई भ्रतार और सखूबाई ने इन हिन्दू महिलाओं को 'बेशरम' और 'नीच किस्म का आचरण करने वाली' कहकर कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना कर अपना रौष प्रकट किया' और दलित महिलाओं को स्वाभिमानपूर्ण स्वाबलम्बी होकर जीने की शिक्षा दी।' इसी परिषद में रमाबाई डॉ. अम्बेडकर महिला संघ स्थापित किया गया। इस महिला मंडल ने दलित महिलाओं के लिए रात्रि स्कूल शुरू करने का फैसला लिया।

प्रस्तावना- डॉ. अम्बेडकर द्वारा महिलाओं के पक्ष में की गई यह ओजस्वपूर्ण टिप्पणी उनके महिलाओं के प्रति चिंतन की परिचायक है। डॉ अंबेडकर का नाम जिवा में आते ही अक्सर उनकी बहुआयामी प्रतिभा को एक 'दलित उद्धारक' तक सीमित कर दिया जाता है। अछूतों के पश्चात् वे हिंदू महिलाओं को ही सर्वाधिक अपेक्षित, अपमानित तथा प्रताड़ित जन समझते थे। उसके लिए कर्त्तव्यों की कोई कमी नहीं और अधिकारों का कोई नामोनिशान न था। इसलिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर को दलित मसीहा के साथ-साथ स्त्री मसीहा की उपमा भी देना गलत न होगा। अनुच्छेद १४,१५ एंव १६ के माध्यम से संविधान में लिंग के आधार पर स्त्री-पुरुष के बीच भेद-भाव समाप्त करते हुए दोनों को समान दर्जा प्रदान किया।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा नारी उत्थान हेतु किये गये प्रयास :-

वैदिक, बुद्ध एंव कौटिल्यकालीन अध्ययन कर डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने पाया कि तीनों ही काल में राजनीति को छोड़ दें तो बौद्धिक एंव समाजिक क्षेत्र में नि:संदेह ही महिलाएं बेहतर स्थिति में थीं। किंतु कालातंर में मनु के आगमन से ही उनकी स्थिति दयनीय होती चली गयी, जिसे लेकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर बेहद ही चिंतित थे। डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्मशास्त्रों पर आधारित भारतीय समाज में महिलाओं की दशा का गहनता से वैज्ञानिक विश्लेषण कर तत्कालीन समय में चल रहे समाज सुधार आंदोलन से आगे बढ कर महिलाओं को अधिकार वापस दिलाने हेतु ठोस प्रयास किये। वे महिलाओं के प्रति मनु के संकुचित विचारों को प्रकाश में लेकर आए और स्पष्ट किया कि मनुस्मृति सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसे कुरितियों पर आधारित चातुर्यवर्ण के सिद्धांत को

प्रतिपादित करने के साथ-साथ पितृसत्तात्मक दृढ़ता से अध्ययन किया, इसलिए इसे ध्वस्त करने का आवाह्न करते हुए उन्होंने नारी समाज को सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया।"[१]

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 'रीडल ऑफ वूमेन', 'नारी एंव प्रतिक्रांति', 'हिन्दू नारी का उत्थान एंव पतन' जैसे लेखों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह हिन्दू ब्राह्मणवादी व्यवस्था एंव सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों ने कृत्रिम तौर पर लिंग एंव उसके भेद का निर्धारण कर महिला को पारंपरिक व्यवहार अपनाने को बाध्य किया। अर्थात् उन्हें घर की इज्जत, धैर्यधारिणी तथा धरती की उपमा से सुशोधित कर उन्हें निष्क्रिय एंव दब्बू बनाने का प्रयास किया। यहां डॉ आंबेडकर सीमोन दी बोअर के कथन 'औरत पैदा नहीं होती अपितु बना दी जाती है' के नज़दीक आ जाते हैं। एक शोधकर्त्ता की भांति उन्होंने धर्म में महिलाओं के स्थान का गूढ़ता से अध्ययन कर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, डॉ. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि बौद्ध कालीन मुख्यतः दो वर्ग (स्त्री एंव शूद्र) बुद्ध के अनुयायी बन रहे थे जिससे ब्राह्मण धर्म की नींव डगमगाने लगी थी। अतः बौद्ध धर्म की निरंतर फैलती जा रही शाखाओं को रोकने हेतु मनु ने महिलाओं की स्वंतत्रता पर निशाना साधते हुए उन्हें इससे वंचित कर उन पर इतनी अयोग्ताएँ थोप दी गयी कि वे पूर्ण रुप से हमेशा के लिए पंगु हो गयी। मनु इतने पर ही नहीं थमे, बौद्ध धर्म को पाखंडी संप्रदाय करार देते हुए इसकी शरण में जाने वाली, गर्भपात, सुरापान, तथा प्रतिघात करने वाली महिलाओं को पिंडोदक क्रिया से भी वंचित कर दिया।"[२]

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के प्रति 'मनुस्मृति' में प्रदृत विधायें कोई नयी या मनु के द्वारा इज़ाद न होकर बल्कि ब्राह्मण एंव ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनु ने मात्र इन्हें धर्मशास्त्र एंव राज्य विधान का हिस्सा बनाया और शनैः-शनैः ये विधान ही कठोर नियमों में परिवर्तित होकर अखण्य होते चले गए। इन्हीं परिस्थितियों ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को स्त्री चिंतन हेतु विवश किया और उन्होंने महिलाओं के उत्थान हेतु शिक्षा, विवाह, परिवार नियोजन, प्रसूति अवकाश एंव हिन्दू कोड बिल आदि क्षेत्रों में अथक प्रयास किए जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है-

शिक्षा: डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को आभास था कि शिक्षा ही वह ताकत है जो सभी बेड़ियों को तोड़ सकती है। किसी भी देश अथवा समुदाय की वास्तविक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उनके सभी नागरिक शिक्षित हों। नारी मुक्ति के वाहक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता तथा स्वाभिमान से जीवन जीने की शिक्षा देते हुए दो मूल मंत्र दिए- प्रथम, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो तथा द्वितीय 'अत्त दीपो भव' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो।"[3] उन्होंने प्रश्न उठाया कि ज्ञान और विद्या पर केवल पुरुषों का एकाधिकार क्यों? जबकि "घर में एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ शिक्षा लगभग वहीं तक सीमित हो जाती है और यदि घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़कर शिक्षित हो जाती है।"[४]

विवाहः बाल विवाह का विरोध करते हुए उचित उम्र में महिलाओं के विवाह का डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने पुरज़ोर विरोध किया। उन्होंने माना कि शादी एक जिम्मेदारी है, इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों पर इसे थोपना नहीं चाहिए जब तक वे आर्थिक रुप से शादी से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी को संभालने योग्य न हो जाएं। विवाह जैसे मुद्दे पर भावी जीवन साथी के चयन में लैंगिक असमानता को दूर करते हुए पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने कहा "पत्नी कैसी होनी चाहिए इस बारे में पुरुषों का विचार जाना जाता है, वैसे ही पति कैसा हो इस बारे में पत्नी का मत जान लेना भी जरुरी है। महिला भी व्यक्ति है और उसे भी व्यक्तिक स्वतंत्रता होनी चाहिए"।"[७]

हिन्दू कोड बिल क्यों – डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भारतीय महिलाएं खासकर, हिन्दू महिलाएं, जिसमें सवर्ण तथा दलित दोनों की समाजिक, आर्थिक आरै राजनैतिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे, जो विशुद्ध रूप से उनकी समाजिक, कानूनी स्थिति सुधारने में संजीवनी बूटी की तरह काम करें। इसलिए उन्होंने सौ फीसदी महिलाओं के हक में 'हिन्दू कोड' बिल बनाया। इस हिन्दू कोड बिल और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर दोनों को ही कट्टर पथियों का भयंकर विरोध सहना पड़ा। हिन्दू कोड बिल के विरोध में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को कई बार व्यक्तिगत अपमान झेलना पड़ा। उनके घर पर पत्थर तक बरसाये गये और संसद में भी उनका बहिष्कार किया गया। "हिन्दू कोड बिल" पास कराने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ-साथ अनके दलित गरै दलित महिलाओं ने भी भारतीय महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक लड़ाई लड़ी हैं। "हिन्दू कोड बिल" पर दुर्गाबाई देशमुख, लोकसभा की सदस्य श्रीमती पदमजी नायडू, राजश्री, सौ. चन्द्रकला, उर्मिला मेहता, मिसेस मिठान महिला कांग्रेस की मन्त्री, कुमारी मुकुल और उनके महिला जत्थे ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर सभा और जनसभाओं में भारतीय महिलाओं की समाजिक आर्थिक दुर्दशा के चित्र खींचे।"[६] डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के खिलाफ चारों तरफ वैमनस्य, घृणा और तनाव का जाल बिछा दिया। पुरूष प्रधान संस्कृति पर प्रहार करते हुए इस बिल ने भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर कानूनी अधिकार देकर उनको गौरान्वित किया गया। इस बिल की वजह से हिन्दु महिलाओं को विवाह, तलाक आदि में पुरूषों जैसा ही हक दिया गया था। इस बिल में नौ अधिनियम बनाए गए।

१ हिन्दू विवाह अधिनियम।

२ विशेष विवाह अधिनियम।

३ गोद लेना दत्तकग्रहण अल्पायु-संरक्षाता अधिनियम।

४ हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम।

५ निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण अधिनियम।

६ अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम।

७ उत्तराधिकारी अधिनियम।

८ हिन्दू विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम और

९ हिन्दू कोड बिल में पिता की सम्पति में अधिकार आदि। 'हिन्दू कोड बिल द्वारा किसी भी जाति की लड़की या लड़के का विवाह होना अवैद्य नहीं था। हिन्दू कोड के अनुसार, पत्नी और पति एक समय में एक ही विवाह कर सकते थे।"[७]

महिलाओं को हक दिलाना चाहते थे डॉ. बाबासाहेब **अम्बेडकर** :- डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश (मैटरनल लिव) की व्यवस्था की।"[८] संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माताओं में उनकी अहम भूमिका थी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद १४ में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जा सकता। आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए। सन् १९५१ में उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। वे महिलाएं ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता-पिता या भाई-बंधुओं के साथ रो-रोकर व्यतीत कर रही थीं। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख-देख कर शोकसंतप्त रहते थे।"[९]

निष्कर्ष :- डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. महिलाओं के हितों व उनके अधिकारों के प्रति एक ऐसे संवेदनशील योद्धा एंव पुरोधा थे, जिन्होंने महिलाओं से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों- शिक्षा, विवाह, पुर्नविवाह, परिवार नियोजन, संपति आदि को अपने चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर नारी मुक्ति का आह्वान किया। उनके अथक् प्रयास के परिणामस्वरुप ही सरकार को प्रसव प्रसुविधा अधिनियम, १९६१ पारित करना पड़ा, जिसने रोजगार के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण का अंत कर उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय नारीवादी आंदोलन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अनदेखी कर यूरोप के नारिवादियों तथा मार्क्सवाद में आधार देखता है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी स्वतंत्रता के पश्चात् दिन-प्रतिदिन महिलाओं को बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिसां, निर्धनता, निरक्षरता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। निर्भया मुद्दे, देवास के नेमावर हत्या कांड, को शायद ही कोई महिला अपने जहन से निकाल पाये। मुख्यतः आज महिलाओं के प्रति शोषण के नये रुप देखने को मिलते हैं। अतः समाजिक सुधार के अधूरे रह गये डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. के सपने को उनके विचारों का सही एवं प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर पूरा किया जा सकता है तभी महिलाओं को समाज में वाज़िब हिस्सा मिलेगा जिसकी वह यथार्थ में हक़दार हैं। ऐसे में रजनी तिलक की पक्तियाँ प्रास ंगिक लगती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1- भीमराव अंबेडकर. २००९. 'हिंदू नारी का उत्थान और पतन', गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. २४।

2- बाबासाहब अम्बेडकर. २०१३ (तृतीय संस्करण), क्रांति और प्रतिक्रांति : बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि में नारी एंव प्रति क्रांति', संपूर्ण वाङ्मय, खंड-७, डॉ. अम्बेडकर. प्रतिष्ठान : नई दिल्ली, पृ. ३३५-३३६।

3- भीमराव अम्बेडकर. २००९. 'हिंदू नारी का उत्थान और पतन', गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. १४।

4- एस. विक्रम. २०१०, दलित महिलाएँ : इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपा.) में आभालता चौधरी नारी स्वतंत्रता और डॉ अम्बेडकर. नटराज प्रकाशनः दिल्ली, पृ. १६८।

5- Velaskar Padma., 2012, Education for Liberation: Ambedkar's Thought and Dalit Women's Perspective, Contemporary Education Dialogue,Sage Publications, New Delhi, p 245.

6- अम्बेडकर. का सपना, /२०१३/०७/इसवह-चवण १७. मंजू सुमन. २००४, 'दलित महिलाएँ ,सम्यक प्रकाशनः दिल्ली, पृ. ४२।

7- तेज सिंह (संपादित) .२०१०, 'अंबेडकरवादी विचारधारा और समाज' में अनिता भारती डॉ. अम्बेडकर. का स्त्री चिंतन, स्वराज प्रकाशनः दिल्ली, पृ. २१४।

8- कुसुम मेघवाल. २००८, 'हिंदू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर. तेज सिंह (संपा.), अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशनः दिल्ली, पृ. २२८-३२।

9- एस. विक्रम. २०१०, दलित महिलाएँ : इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपा.) में मंजू चंद्रिका पुरे 'स्त्रियों के उत्थान में अम्बेडकर.का योगदान, नटराज प्रकाशनः दिल्ली, पृ. १४२।